बुरा और सबसे बुरा

-लेखकः अरुण मायरा (पूर्व सदस्य, योजना आयोग)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

11 दिसम्बर, 2020

कर्नाटक का गौ संरक्षण बिल, अन्य राज्यों में इसी तरह के कानूनों की तरह, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं को तोड़ने का कार्य करेगा।

हाल ही में, कर्नाटक की भाजपा सरकार ने उस मवेशी संरक्षण विधेयक को फिर से जीवित किया है जो 10 साल पहले राज्य विधानसभा द्वारा पारित किए गए थे, लेकिन राज्यपाल द्वारा सहमति नहीं दिए जाने के कारण कानून नहीं बन सके थे। इस कानून के विवादास्पद प्रावधानों को राज्य की विधानसभा द्वारा बिना बहस के इसे पारित करते हुए फिर से एक नया जीवन दिया गया है। यदि राज्यपाल वजुभाई वाला ने इसे मंजूरी दे दी, तो कर्नाटक पशु वध रोकथाम और मवेशी संरक्षण विधेयक, 2020 राज्य के किसानों के लिए समस्याएँ पैदा कर सकता है, जैसे कि अन्य राज्यों में अनुभव किया जा रहा है – विशेष रूप से उत्तर प्रदेश को, जिसके पास भी इसी तरह का एक कानून हैं।

इन राज्यों की तरह ही, कर्नाटक में भी किसान और कसाई के बीच महत्वपूर्ण संबंध अब खतरे में हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रस्तावित कानून में तीन से पांच साल की जेल की सजा है और मवेशियों के वध के लिए, मवेशियों की खरीद के लिए 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना है, साथ ही पुलिस को परिसर और वाहनों की तलाशी के लिए व्यापक अधिकार दिए गए हैं।

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में गौवंश की रक्षा के लिए कड़े कानून लागू हैं। कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में गाय संरक्षण के लिए काऊ कैबिनेट का गठन किया गया था। अब कर्नाटक विधानसभा में बी.एस. येदियुरप्पा की सरकार के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने गौ हत्या और मवेशी संरक्षण विधेयक विधानसभा में पारित करा लिया है।

जुलाई में, कर्नाटक के पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री प्रभु चव्हाण ने कथित तौर पर यूपी के गोहत्या रोकथाम अधिनियम का अध्ययन करने की बात कही थी। कानून 1955 से शुरू है, लेकिन चव्हाण ने 2017 के बाद से स्थिति का जायजा लिया होगा, जब अधिनियम को यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा बड़ी सख्ती के साथ लागू किया गया था, जहाँ राज्य के बूचड़खाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

इस साल 26 अक्टूबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अवलोकन किया था कि "इस अधिनियम का इस्तेमाल निर्दोष व्यक्तियों के खिलाफ किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में, पशु मालिक, जो अपने पशुओं को खिलाने में असमर्थ हैं, उन्हें छोड़ रहे है। स्थानीय लोगों और पुलिस के डर से उन्हें राज्य के बाहर नहीं ले जाया जा सकता। अब कोई चारागाह भी नहीं हैं। इस प्रकार, ये जानवर फसलों को नष्ट करने के लिए यहां-वहां भटकते रहते हैं। पहले किसान नीलगायों से डरते थे, अब उन्हें अपनी फसल को आवारा गायों से बचाना होगा।"

एक सर्वे के मुताबिक भारत में 71 प्रतिशत के करीब लोग मांसाहारी हैं। आर्थिक पहलुओं पर नजर डालें तो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) की रिपोर्ट के अनुसार भारत बीफ निर्यात के मामले में विश्व स्तर पर पांचवें नम्बर पर है, यह भी जगजाहिर हो चुका है। मांस के चार चोटी के निर्यातक हिन्दू ही हैं। देश भर में 72 लाइसैंसी बूचड़खाने हैं। कई राज्य सरकारों ने अवैध बूचड़खानों पर ताले भी लगवाए हैं।

संविधान के अनुच्छेद 48 के तहत बछड़े, भैंस, बैल समेत सभी पशुओं के वध पर प्रतिबंध है फिर भी भैंस के मांस का निर्यात कैसे हो रहा है। गौशालाओं का प्रबंधन इतना खराब है कि सुविधाओं के अभाव में गाय मर रही हैं। केवल चारदीवारी बनाने या शैड खड़े कर देने से गौशालाओं का निर्माण पूरा नहीं होता।

गौरतलब है कि एक गाय लगभग 15 साल तक जीवित रहती है। लेकिन ये आठ साल के बाद किसान के लिए लगभग लाभदायक नहीं रह जाती है क्योंकि उसका दूध उत्पादन तब तक गिर जाता है।

इस तरह के जानवरों को पहले एक स्थानीय पशुधन बाजार में और फिर वहां से एक बूचड़खाने में भेज दिया जाता है। लेकिन पिछले पांच वर्षों में कई राज्यों ने गौ रक्षा में एक-दूसरे को पछाड़ने की कोशिश की है, खेतों और बूचड़खानों के बीच की कड़ी टूट गई है। कर्नाटक बिल कानून का एक हिस्सा है, जिसने पशु व्यापारियों को असुरक्षित बना दिया है और सतर्कता बढ़ा दी है। इन सब बातों से सिर्फ यही लगता है कि कर्नाटक के राज्यपाल को प्रस्तावित कानून को स्वीकार करने से इनकार करना चाहिए।

गौ-हत्या विरोधी बिल

चर्चा में क्यों?

- कर्नाटक में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार ने कांग्रेस और जनता दल (सेकुलर) के कड़े विरोध के बीच कर्नाटक मवेशी वध रोकथाम एवं संरक्षण विधेयक-2020 को विधानसभा में पारित कर दिया है।
- विधेयक में पशु वध के सभी रूपों पर प्रतिबंध और अपराधियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है।
- साथ ही गाय की तस्करी, अवैध ढुलाई, अत्याचार एवं गौ-हत्या में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान है।

क्या बिल अपने आप में बिल्कुल नया है?

- इसका जवाब है नहीं। 2020 का विधेयक भाजपा द्वारा पारित एक कानून का संशोधित संस्करण (2010 में) है।
- इसमें उल्लंघनकर्ताओं के लिए कड़ी सजा का प्रावधान था और पशु वध के सभी रूपों पर प्रतिबंध लगाया गया था।
- हालाँकि, जैसा कि कर्नाटक में सत्तारूढ़ दल के शीर्ष नेताओं द्वारा उद्धृत किया गया है, निर्धारित दंडों और कठिन बना दिया गया है और नए विधेयक में किसी भी प्रकार के पशु वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है।

2010 के विधेयक की पृष्ठभूमि

- 2010 का विधेयक तब पारित किया गया था जब बीजेपी, मुख्यमंत्री के रूप में बी एस येदियुरप्पा के साथ सत्ता में थी।
- 2013 में सिद्धारमैया की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार द्वारा राज्यपाल की सहमति प्राप्त करने में बिल के विफल होने के बाद इसे हटा दिया गया था।
- तब कांग्रेस ने कम कठोर कानून लाने के उद्देश्य से कर्नाटक गौ-हत्या रोकथाम एवं पशु संरक्षण अधिनियम-1964 को पुनः लागू किया, जिसमें कुछ प्रतिबंधों के साथ गोहत्या की अनुमति दी गई थी।
- 1964 के कानून में बैल, भैंस-नर या मादा के वध की अनुमति दी गई थी, अगर वह 12 वर्ष से अधिक आयु का हो, इसे किसी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो और प्रजनन या बीमार हो।
- इस कानून में गाय या भैंस के बछड़े की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था।

नए विधेयक में क्या है?

- आरोपी लोगों के खिलाफ तेज ट्रायल के लिए विशेष अदालत गठित करने का प्रावधान है।
- मवेशियों की सुरक्षा के लिए गोशाला या पशु-शालाओं को खोलने का भी प्रावधान है।
- गायों और बछड़ों के संरक्षण के लिए पुलिस को जांच करने का अधिकार दिया गया है।
- विदित हो कि राज्य में गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए, राज्य में भाजपा के गौ रक्षा प्रकोष्ठ ने मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा को पत्र लिखकर 2010 के विधेयक को फिर से शुरू करने की मांग की थी।
- इस बीच, शीतकालीन सत्र शुरू होने के कुछ दिन पहले - 7 दिसंबर को - पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान ने गुजरात और उत्तर प्रदेश में इसी तरह के कानूनों से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया था।
- नवीनतम कर्नाटक विधेयक में 'बीफ' और 'मवेशी' को कैसे परिभाषित किया गया है?
- "बीफ" को किसी भी मवेशी के मांस के रूप में विधेयक के तहत परिभाषित किया गया है। "मवेशी" को गाय और गाय का बछड़ा, बैल या भैंस जिनकी उम्र तेरह साल से कम है- के रूप में परिभाषित किया गया है।
- विधेयक में पशुपालन और मत्स्य विभाग के साथ पंजीकृत मवेशियों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए स्थापित आश्रय स्थल को 'गौ शाला' कहा गया है।

इसके तहत प्रदान की गयी शक्तियां

- पुलिस उप-निरीक्षक और उससे ऊपर या सक्षम प्राधिकारी के पास परिसर की तलाशी लेने, मवेशियों को अपने अधिकार में लेने और अपराध करने के लिए उपयोग किए जाने सामग्री को जब्त करने की शक्ति होगी।
- यदि तलाशी में कुछ प्राप्त होता है, तो बिना किसी देरी के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट के सामने रिपोर्ट की जाएगी।

इसके तहत दंड का प्रावधान

- दोषी पाए जाने पर तीन से सात साल तक की सजा हो सकती है और प्रत्येक जानवर पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। जुर्माना बढ़ाकर पाँच लाख भी किया जा सकता है।
- दूसरी बार दोषी पाए जाने पर जुर्माना 1 लाख रुपये से कम नहीं है और इसे 10 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।
- मवेशियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के दौरान अगर इस कानून से बचना है तो उसके लिए पुशपालन विभाग के अधिकारी से एक सर्टिफिकेट लेना होगा।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. "कर्नाटक मवेशी वध रोकथाम एवं संरक्षण विधेयक-2020" के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. इसमें गाय और बछड़ों के साथ 13 साल से कम आयु वाली भैंसों के संरक्षण का भी प्रावधान है।
2. यह विधेयक 2013 में कांग्रेस द्वारा पेश किए गये गौ-हत्या रोकथाम एवं पशु संरक्षण अधिनियम-1964 का संशोधित संस्करण है।
3. पहली बार दोषी पाए जाने पर जुर्माना 1 लाख है और इसे 10 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 2 **(b)** केवल 1
(c) 1 और 3 **(d)** 2 और 3

Expected Questions (Prelims Exams)

Q. Consider the following statements in the context of "Karnataka Prevention of Slaughter and Preservation of Cattle Bill-2020":-

1. There is a provision for the protection of buffaloes below 13 years of age besides cows and calves.
2. This Bill is a revised version of the Cow-slaughter Prevention and Animal Protection Act-1964 introduced by the Congress in 2013.
3. The penalty for first time conviction is 1 lakh and can be increased to Rs. 10 lakh.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 2 **(b)** Only 1
(c) 1 and 3 **(d)** 2 and 3

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. कर्नाटक के गौ संरक्षण बिल के प्रमुख प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए इस विधेयक से संबंधित चिंताओं पर चर्चा कीजिए। **(250 शब्द)**

Q. While highlighting the major provisions of the Cow Protection Bill of Karnataka, discuss the concerns related to this bill.

(250 Words)

Committed To Excellence

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।